फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.जैन - वकील अपीलार्थी 2. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील प्रत्यर्थी-1 3. राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 अनवान 1. राजस्थान राज्य वन विभाग, जरिये उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर, उदयपुर (राजस्थान) **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. सुपार्श्वनाथ सोसायटी, उदयपुर सिनर्जी इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जरिये संस्थापक संचालक श्री प्रदीप चपलोत, 342बी, अशोक नगर, रोड़ नम्बर 10, उदयपुर, राजस्थान 2. राजस्थान सरकार राजस्व विभाग जरिये जिलाधीश उदयपुर। **-प्रत्यर्थी** **अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर आदेश क्रमांक 5018-23 दिनांक 31.08.2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 228-33 दिनांक 19.01.2018 अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के क्रम में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 1914/2010/उदयपुर बउनवानी वन विभाग बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 में प्रदत निर्देशों पालना में** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 20.02.2023 उक्त अपीलीय कार्यवाही विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर आदेश क्रमांक 5018-23 दिनांक 31.08.2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 228-33 दिनांक 19.01.2018 अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के क्रम में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपील संख्या 1914/2010/उदयपुर बउनवानी वन विभाग बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 में प्रदत निर्देशों पालना में सम्पादित की जा रही है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार है- ● जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 5018-23 दिनांक 31.8.2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 228-33 दिनांक 19.01.2008 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कुलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित कृषिभूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2001 के तहत रेस्पो0 संख्या 1 सुपार्श्वनाथ सोसायटी, उदयपुर को 10 एकड अर्थात 25 बीघा भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया गया। उक्त आवंटित भूमि वन विभाग की आरक्षित भूमि है जिसकी अधिसूचना दिनांक 27.12.1947 जारी की जा चुकी है। जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 19.01.1948 को हुआ और उसका कुल रकबा 1349 बीघा 14 बिस्वा है। जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 31.8.07 व दिनांक 19.01.2008 के विरूद्ध अपीलार्थी वन विभाग द्वारा प्रथम अपील न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर ने यह कहते हुये अपने निर्णय दिनांक 03.02.10 से यह अपील खारिज कर दी कि राज्य सरकार के आदेश विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसके नम्बर 1914/2010/उदयपुर हुए। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 11.07.2019 पारित	

फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया कि-

''पत्रावली, राजस्व रिकार्ड व न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा पारित आदेश क्रमांक- 5018-23 दिनांक 31.08.2007 एंव इसके पश्चात संशोधित आदेश क्रमांक 228-33 दिनांक 19.01.2008 भी राजस्थान भू राजस्व (स्कुलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित कृषिभूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत पारित किया गया है जिसके लिए जिला कलेक्टर ही सक्षम अधिकारी होता है। उक्त आवंटित आदेश के विरूद्व यदि किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है तो वह नियमानुसार प्रथम अपील के जरिये ही अपना पक्ष रख सकता है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय मानी जाने योग्य है। अतः अपील अपीालार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्णतः पोषणीय है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश की साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी संबधित पक्षकारों पुनः सुनवाई का मौका देते हुये राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुये प्रकरण का मैरिट पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।''

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने से एवं प्रदत्त निर्देशों की पालना में न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर पक्षकारान को सूचित किया गया। तत्पश्चात राजस्व ग्रुप-6 विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में प्रकरण न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 21.11.2019 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रकरण को दर्ज किया गया। सभी पक्षकारों को इस न्यायालय से पुनः सूचित किया गया। फर्द अहकाम पर उल्लेखीत पेशियों पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। दिनांक 24.01.2023 को अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण उपस्थिति जिनकी मजिद बहस सुनी गई। प्रमुख पक्षकारान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 की लिखित बहस पूर्व में पेशशुदा।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 को आवंटित भूमि वनखण्ड काटिया की आरक्षित भूमि है, जिसकी अधिसूचना दिनांक 27.12.47 को जारी की जा चुकी है एवं जिसका दिनांक 19.01.1948 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ है और उसका कुल रकबा 1349 बीघा 14 बिस्वा है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि वन विभाग की भूमि होने से राज्य सरकार राजस्व विभाग को उसे आवंटित करने का किसी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नहीं है अर्थात उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य है। इस सबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 में स्पष्ट प्रावधान दिये है। जिला कलेक्टर द्वारा भूमि का आवंटन करने से पूर्व न तो वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया गया और न ही उसे सूचित किया गया। जबकि मौके पर वन विभाग की मीनारें स्थापित थी और उक्त भूमि वन बंदोबस्त अनुसार आरक्षित वनखण्ड की भूमि है। सम्पूर्ण उदघोषित भूमि के तत्कालीन खसरा नम्बर 1 से 6 रहे और उक्त वनखण्ड में अन्य दो गावों की भूमि मिलाते हुए तीन गावों की भूमि सम्मिलित हुई जिसका नक्शा सेटलमेंट विभाग द्वारा तरतीब किया गया और नक्शें में वर्णित उद्घोषित भूमि आरक्षित वन भूमि है। राजस्व विभाग द्वारा उक्त बिलानाम दर्ज भूमि में से आंशिक रकबा ग्राम गुडली का भी निहित रहा जो कि सहवन से वन विभाग के नाम नामान्तरित दर्ज नहीं किया गया। मात्र इसी चूक के आधार पर जो आवंटन आदेश पारित किया गया वह प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरित नहीं होने मात्र से उक्त भूमि राजस्व भूमि नहीं रहती है, वरन् वन भूमि ही है और वन भूमि के

फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

संबंध में व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सिविल रिट पीटीशन संख्या 2002/95 निर्णय दिनांक 12.12.2016 में की गई है। इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा भी एसबी सिविल रिट पीटीशन संख्या 4209/2000 मैसर्स अरावली मिनरल्स एंड केमिकल्स् इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. बनाम राज्य के संबंध में निर्णय दिनांक 19.12.2001 को पारित किया गया जिसमें अवधारित किया गया कि पंचायत द्वारा दी गई भूमि पर वन विकास कर देने पर उक्त भूमि को भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वन भूमि माना गया है। वन विभाग का एक आंशिक रकबा बिलानाम दर्ज हो जाने से वन विभाग के अधिकार को समाप्त मान लिया गया। उक्त भूमि बहुत वनखण्ड का अंश है और राजस्व अभिलेख में सम्पूर्ण भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु सहवन से प्रेषित सूची में वर्तमान आराजी संख्या का पूर्ण विवरण दर्ज नहीं होने से उल्लेखित भूमि जिसका नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। निर्विवाद रूप से उक्त भूमि वन भूमि है जो वक्त फोरेस्ट सेटलमेंट दिनांक 27.12.1947 की कार्यवाही सर्वे प्लॉन अनुसार वनखण्ड काटिया तरतीब किया गया जिसमे पूर्ण विवरण दर्ज है, उसी नक्शे की हाल साबिक नक्शा ट्रेस को हाल साबिक नक्शा ट्रेस पेंटोग्राफ परीक्षण से भी सम्पूर्ण भूमि वनखण्ड काटिया की ही भूमि है जिसके संबंध में किसी भी तरह की चुनौती देने की अधिकारिता किसी भी विभाग/व्यक्ति को प्राप्त नहीं रहती है और आरक्षित वनखण्ड की उद्घोषित भूमि के विपरीत समस्त प्रकार की पश्चातवर्ती कार्यवाहियां स्वतः अवैध होकर शून्यप्रभावी है। उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96, वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2, अरावली मिनरल्स एवं केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड निर्णय दिनांक 19.12.2001 में प्रतिपादित किया है कि राजकीय रिकार्ड में इन्द्राज शुदा एवं डिक्शनरी मिनिंग में वनरूप में समझी जाने वाली समस्त भूमि पर फोरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट लागू होता है। ऐसे जिन प्रकरणों में किसी सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्राधिकार के बिना ही भूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के नाम जारी कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है या किसी रिकार्ड राजस्व अभिलेख में कोई भूमि वन विभाग के नाम दर्ज हो तो उसे बिना केन्द्र सरकार की अनुमति के गैर वानिकी के उपयोग में नहीं लिया जा सकता और ना ही वन भूमि को अनारक्षित किया जा सकता है। उक्त भूमि वनखण्ड काटिया की होकर वृक्षारोपण किया गया है, विभाग की वन संरक्षण की कार्यवाही प्रगतिशील है और विकसित किए जाने में लाखों खर्च किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी-1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई। ऐसी दशा में आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावें और अपील स्वीकार अपीलान्ट के नाम उल्लेखित भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज फरमाये जाने का निर्णय पारित फरमावें।

अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के खण्डन में जरिये लिखित बहस मय मौखिक बहस प्रस्तुत किया कि जिला कलेक्टर के आदेश क्रमांक 5018-23 दिनांक 31.8.2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 228-33 दिनांक 19.01.2008 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व (स्कुलों, कॉलेजो, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माणार्थ राजकीय अनाधिवासित कृषिभूमि का आवंटन) नियम 1963 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 13.02.2001 के तहत रेस्पो0 संख्या 1 सुपार्श्वनाथ सोसायटी, उदयपुर को 10 एकड अर्थात 25 बीघा भूमि का आवंटन 99 वर्ष की लीज पर किया गया। प्रत्यर्थी-1 द्वारा निर्धारित आवंटन शुल्क जमा करा सभी आवंटन शर्तों की पालना ससमय पुरी की गई। लीज डीड का पंजीयन कराया गया। अपीलार्थी द्वारा आप न्यायालय में गलत तथ्यों पर अपील पेश की गई है। यह जमीन एक भी दिन वन विभाग के खाते दर्ज नहीं हुई है। न ही उसका कब्जा रहा है। जिस नोटिफिकेशन का हवाला वन विभाग द्वारा दिया जा रहा है, उसमें कही पर भी प्रत्यर्थी-1 की लीजशुदा भुमि का हवाला नहीं दिया गया है। यह भूमि फोरेस्ट की नहीं होकर पूर्व से ही बिलानाम सरकार दर्ज चली आ रही है। आज भी फोरेस्ट के नाम दर्ज नहीं है। उक्त जमीन का पट्टा राज्य सरकार की स्वीकृति से जिला कलक्टर द्वारा प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में जारी किया गया। गुडली खालसा में विवादग्रस्त जमीन स्थित है जबकि इस जमीन के उत्तर के पड़ौस में जिंक स्मेल्टर की जमीन, उसके बाद मेन रोड़ उदयपुर-चित्तौड़गढ़ है और उसके बाद हिन्दुस्तान जिंक की फैक्टी स्थित है। इस जमीन को लाखों रूपये लगाकर प्रत्यर्थी-1 द्वारा विकसित किया गया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

और उसमं सिनर्जी इन्स्टीट्युट ऑफ नर्सिंग कॉलेज चल रहा है। इस जमीन के उत्तर पूर्व में साधना केमिकल एंड फर्टीलाईजर की फेक्ट्री है। यह जमीन एक भी दिन वन विभाग के नाम दर्ज नहीं रही है। लीजशुदा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है एवं भूमि की किस्म मगरी उसर बंजर दर्ज है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट भी वन भूमि नहीं बताती हैं। लीज से पूर्व जिला कलक्टर द्वारा सभी विभागों से अनापत्ति प्राप्त कर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त विधिवत आवंटन/लीज जारी की गई। अपीलार्थी न तो हितबद्ध व्यक्ति है और प्रस्तुत अपील भी मयाद बाधित है। इस प्रकार के अन्य प्रकरणों में राजस्व अपील अधिकारी ने यह माना है कि वन विभाग इन खसरा नम्बरान को वन घोषित कराने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। राजस्व रेकर्ड में जो जमीन वन दर्ज है, वह कुलिया जमीन 1349 बीधा 14 बिस्वा दर्ज है तथा आज भी वन की भूमि 297.4140 हैक्टेयर यानि 1349 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जो देबारी गुडली तथा दुसरे गावं को मिलाकर खण्ड कांटिया का कुल क्षेत्रफल है जो गजट नोटिफिकेशन मेवाड़ गर्वमेंट का दिनांक 17.12.1947 को जारी हुआ था उसमें वन विभाग की भूमि के पडौस दे रखे है तथा ये जमीन उन पड़ौस में नहीं आती है। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार यह भूमि 1349 बीघा 14 बिस्वा दर्ज होनी चाहिए परन्तु आज भी यह भूमि अधिक दर्ज है, इस कारण अन्य भूमियों को वन विभाग की होना किसी भी सुरत में नहीं कहा जा सकता है। अतः अपील काबिल निरस्त के है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96 इस प्रकरण पर लागु नहीं होता है क्योंकि लीजशुदा/आवंटित भूमि कभी भी वन विभाग के नाम नहीं रही है। वन संरक्षण अधिनियम की अन्तर्गत उक्त भूमि को वन सीमा में लिया नहीं जा सकता है क्योंकि न ही अपीलार्थी उपरोक्त आंवटित/लीजशुदा भूमि कभी वन विभाग के नाम रही और न ही कभी आरक्षित वन रही। ऐसे में अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण मौखिक एवं लिखित बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का आदरपूर्वक अध्ययन किया गया।

दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किये जाते है।

दौराने अपीलीय प्रक्रिया, उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया और नियत तारिख पेशियों पर उनका पक्ष ध्यानपूर्वक सुन कर परिशीलन किया गया। प्रकरण में उभय पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस मय दस्तावेज पेश किये गए जो शामिल पत्रावली किए। साथ ही अधिवक्ताओं द्वारा समय समय की गई विस्तृत बहस के दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जो उपरोक्त पैराज में वर्णित की गईं। इन सभी पर मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सवंत 2052 से 2062 में विवादित आराजी नम्बर 1007 मी., 1008 से 1017 बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है एवं भूमि की किस्म मगरी उसर दर्ज है। पर्चा मौका दिनांक 20.04.2006 जो पटवारी हल्का गुडली द्वारा तैयार किया गया है, अनुसार ''आराजी नंबर 1007 मी. रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 1008 रकबा 2 बीघा, आराजी नंबर 1009 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, आराजी नम्बर 1010 रकबा 4 बीघा, आराजी नम्बर 1011 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नम्बर 1012 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 22 बीघा 7 बिस्वा भूमि मौके पर खाली होकर पड़त है एवं आराजी नंबर 1013 रकबा 3

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बीघा 7 बिस्वा, आराजी नंबर 104 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, आराजी नंबर 1015 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं 1016 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 8 बीघा भूमि साधना फॉस्फेट एंड केमिकल्स् प्रा.लि. के कब्जे में होकर पक्की दिवार से घिरी हुई है।'' पटवारी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि ''आराजी नंबर 1013 में सं 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि जो कि पशचिम-दक्षिण कोने पर स्थित है, राज्य प्रदुषण मण्डल हेतु प्रस्तावित पक्की डामरीकरण रोड़ के उत्तर दिशा में स्थित होने से छोड़ी गई है तथा आराजी नंबर 1016 रकबा 15 बिस्वा भूमि मौके पर रास्ते के रूप में काम आने से छोड़ी गई है, जो राज्य प्रदुषण मण्डल हेतु प्रस्तावित डामर रोड़ में शामिल रहेगी। आराजी नम्बर 1013 से 1016 तक पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरने वाला रास्ता जिसका रकबा 5 बीघा है, सार्वजनिक आवागमन परिवहन हेतु छोड़ा जाना प्रस्तावित है।'' इसी प्रकार पंचायत कुडली ने दिनांक 13.04.2006 को उक्त भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रखा है, जिसमें उन्होनें अंकित किया है कि ''ग्राम गुडली तहसील मावली के खसरा नंबर 1007 से 1016 तक कुल रकबा 6.8160 हैक्टर भूमि किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त भूमि सुपार्श्वनाथ सोसायटी उदयपुर रजिस्ट्रेशन क्रमांक 49/उदयपुर/05-06 द्वारा प्रस्तावित सिनर्जी इन्स्टीट्यूट ऑफ नर्सिग प्रशिक्षण संस्थान को आवंटन की जाती है तो ग्राम पंचायत गुडली को कोई आपत्ति नहीं है।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि आवंटन से पूर्व जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त आवश्यक शुल्क जमा होने उपरान्त राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर आवंटन आदेश जारी किया। अपीलीय कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया जो जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आवंटन प्रक्रिया को गलत मानता हो और अपीलार्थी द्वारा धोखें से एवं तथ्यों को छिपाते हुए उसके पक्ष में आवंटन कराया हो। अतः आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्विवादित स्थिति न्यायालय हाजा समक्ष स्पष्ट है।

अपीलार्थी का प्रमुख उज्र विवादित भूमि का वन विभाग की होना है। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह जाहिर होता है कि आवंटित भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है एवं भूमि की किस्म मगरी उसर दर्ज है। जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 07.06.2006 को शासन को लिखे पत्र में उक्त भूमि को ग्रीन बेल्ट एवं खनन क्षेत्र में नहीं होना माना है। यह प्रकट करता है कि विवादित भूमि वन विभाग के नाम न होकर उक्तानुसार बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर ग्रीन बेल्ट व खनन क्षेत्र में नहीं आती है। उक्त भूमि के बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होने के खण्डन में कोई प्रभावी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि को वन विभाग द्वारा कब व किस आदेश/अधिसूचना से वन विभाग द्वारा लिया गया या अवाप्त की गई/अधिग्रहित की गई, इस बाबत वन विभाग द्वारा प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। विवादित भूमि के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अपने खातेदारी को दर्शित जमाबंदी की नकले प्रस्तुत की गई जिसमें विवादित भूमि का अंकन अपीलार्थी के नाम दर्ज होना स्पष्टतया पाया गया है और आवंटन से पूर्व बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकर्ड होना पाया गया। जब प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपने खातेदारी व आवंटन से पूर्व बिलानाम गैर काबिल काश्त के सम्बन्ध में जमाबन्दी के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए है, तो उक्त दस्तावेजों को असत्य साबित करने का भार सम्बन्धित विभाग पर है, जो साबित नहीं किया गया है। उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त के अलावा कभी वन विभाग के नाम दर्ज रही एवं कभी वन विभाग के कब्जे रही हो, इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराए गए। अपीलार्थी द्वारा गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाया जा रहा है, परन्तु उक्त नोटिफिकेशन में आराजीयात का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके आधार पर किसी खसरा विशेष पर निर्णय लिया जाना उचित एवं संभव नहीं है, जबकि कि विवादित भूमि के वन भूमि नहीं होने बाबत जमाबंदी जैसे अधिकार अभिलेख राजस्व अभिलेखों पर उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई पुख्ता सबुत भी पेश नहीं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया जो यह साबित करता हो कि उक्त आराजीयात उक्त नोटिफिकेशन से प्रभावित हो। उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने उपरान्त उक्त आराजीयात जो बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड रही, उसे कभी भी अपने नाम दर्ज कराने की कोई कार्यवाही की हो, कोई दावा इत्यादि पेश किया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है।

उपरोक्त वर्णित पेराज में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त विवादित भूमि वन विभाग के नाम नहीं रही है, साक्ष्यों के अभाव में यह भूमि आरक्षित वन नहीं रही है और राजस्व अभिलेखों अनुसार बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है एवं भूमि की किस्म मगरी उसर दर्ज है। आरक्षित वन भूमि में सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम-1980 जो माह अक्टूम्बर, 1980 से प्रभाव में आया, जिसके अनुसार-

The Forest (Conservation) Act, 1980

2. Restriction on the dereservation of forests or use of forest land for non-forest purpose – Notwithstanding anything contained in any other law for the time being force in a State, no State Government or other authority shall make, except with prior approval of the Central Government, any order directing –

(i) that any reserved forest (within the meaning of the expression "reserved forest" in any law for the time being in force in that State) or any protion

thereof, shall ceased to be reserved.

(ii) that any forest land or any portion thereof may be used for any non-forest purpose;

Chapter-II of Reserved forest

3. Power to reserve forest: The State Government may constitute any forest land or waste land, which is the property of State Government or over which the State Government has proprietory rights, or to the whole or any part of the forest produce of which State Government is entitled, a reserved forest in the manner hereinafter provided.

The State Government shall publish a notification in the official Gazettee specifying definitely, according to boundry marks erected or otherwise, the limits of the forest which is to be reserved, and declaring the same to be reserved from a date fixed by the notification.

उपरोक्त अधिनियम से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार को किसी वन भूमि व वन भूमि को आरक्षित करने का अधिकार है परन्तु आवश्यक यह है कि उक्त भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति हो या जिस पर राज्य सरकार का मालिकाना हक हो। उक्त आरक्षित वन भूमि का किसी भी प्रकार का गैर वानिकी उपयोग बिना केन्द्र सरकार की अनुमति से नहीं किया जा सकेगा। प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजीयात की भूमि राजस्व अभिलेखों अनसुार आरक्षित वन भूमि नहीं है, बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं भूमि की किस्म मगरी उसर दर्ज रही, जिससे उक्त अधिनियम के विपरित कोई इन्द्राज करना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है। इसके विपरित वन विभाग अपने कथनों के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा इस प्रकरण को माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96 से प्रभावित होना बताया गया। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में वन भूमि के सम्बन्ध में निर्देश दिये है कि सरकारी रिकार्ड में जो भूमियां वन भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी है, उस भूमि पर फोरेस्ट कन्र्जवेशन एक्ट, 1980 के समस्त प्रावधान लागू होगे चाहे फोरेस्ट भूमि का वर्गीकरण या स्वामित्व किसी प्रकार का हो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश प्रदान किये है कि वन भूमि क्षेत्र में गैर-वानिकी कार्यों के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है तथा बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के कोई भी अन्य कार्य अनुज्ञेय नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.12.2001 को इस सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया गया।

फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रकरण संख्या 113/2019 (जीसीएमएस/2019/00136) **राज्य वन विभाग जरिये उपवन संरक्षक बनाम सुपार्श्वनाथ सोसायटी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को ससम्मान अवलोकन हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिपेक्ष्य में किया गया। उपरोक्त वर्णित पेराज से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि कभी भी वन विभाग के नाम नहीं रही है, न कभी वन विभाग का कब्जा रहा, आरक्षित वन भूमि भी नहीं है। उपरोक्तानुसार श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में वर्णित अनुसार उक्त क्षेत्र किसी भी प्रकार से वन भूमि शब्दकोष (Dictionary) अनुसार भी वन क्षेत्र नहीं है तथा न ही वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में किसी प्रकार की वानिकी गतिविधियां होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जबकि पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि खाली होकर पड़त होना एवं कुछ भाग पर साधाना फट्रीलाईजर का अतिक्रमण होना प्रकट होता है। ऐसे में उक्त निर्णय का उल्लधंन पाया जाना प्रकट नहीं होता है एवं प्रस्तुत अन्य परिपत्र/नोटिफिकेशन इत्यादि हस्तगत प्रकरण में लागु नहीं होते है क्योंकि उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रही एवं भूमि की किस्म मगरी उसर दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आवंटन से पूर्व जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उपरान्त आवश्यक शुल्क जमा होने उपरान्त राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर आवंटन आदेश जारी किया। अपीलीय कार्यवाही के दौरान अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई उज्र प्रस्तुत नहीं किया जो जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा आवंटन प्रक्रिया को गलत मानता हो और अपीलार्थी द्वारा धोखें से एवं तथ्यों को छिपाते हुए उसके पक्ष में आवंटन कराया हो। अतः आवंटन प्रक्रिया के संबंध में निर्विवादित स्थिति न्यायालय हाजा समक्ष स्पष्ट है। हस्तगत प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन संख्या 202/95 श्री गोदावर्मन बनाम भारत संघ व अन्य निर्णय दिनांक 12.12.96 से प्रभावित होना नहीं पाया गया है क्यों कि प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजीयात की भूमि राजस्व अभिलेखों अनसुार आरक्षित वन भूमि नहीं है, बिलानाम गैर काबिल काश्त एवं भूमि की किस्म मगरी उसर दर्ज रही। उक्त भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त के अलावा कभी वन विभाग के नाम दर्ज रही एवं कभी वन विभाग के कब्जे रही हो, इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराए गए। अपीलार्थी द्वारा गजट नोटिफिकेशन को आधार बनाया जा रहा है, परन्तु उक्त नोटिफिकेशन में आराजीयात का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके आधार पर किसी खसरा विशेष पर निर्णय लिया जाना उचित एवं संभव नहीं है, जबकि कि विवादित भूमि के वन भूमि नहीं होने बाबत जमाबंदी जैसे अधिकार अभिलेख राजस्व अभिलेखों पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
I.A.S.
संभागीय आयुक्त, उदयपुर